

पत्र संख्या : : ७ब/४७०१ यो०ज०सं०-०७/२०१८ २१३
 झारखण्ड सरकार
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
 अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची ;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक १९/३/१९

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-५४-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य विपत्र कोड-४९S470180796540545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-८१/१६-१७, दि. २०.०१.१७, ७८/१६-१७, दि. १७.०१.१७, ८४/१६-१७, दि. ०२.०२.१७, ०३/१६-१७, दि. १२.०४.१६, ०६/१६-१७, दि. १२.०४.१६ एवं २६/१४-१५, दि. ०९.०९.१४ तथा ९१/१६-१७, दि. २४.०३.१७

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
१.	४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /८०-सामान्य /	७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ५४-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य विपत्र कोड-४९S470180796540545	२१३.४७

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ तेरह लाख सैतालीस हजार मात्र।

२. आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के बजट उपबंध रु. २००००.०० लाख (दो सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
३. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १६८१ दि. १०.०६.२०१५ के आलोक में होगा।
४. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
५. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
६. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

२१३

(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)

२१३
 (रमेश कुमार द्वृष्टि)
 विशेष सचिव


२१३
 (हेमन्त कुमार)
 अभियंता प्रमुख-१

✓

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :— ११३

रॉची, दिनांक :—

19/१/१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/चक्रधरपुर/गुमला/खूंटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— ११३

रॉची, दिनांक :—

19/१/१९

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।




११३

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

११३
(रमेश कुमार दूब)
विशेष सचिव

११३
(हमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1



(अरुण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

मोग संस्था-४९-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामाच्य,

लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना,
उप शीर्ष-५४-पूर्ण सिंचाई योजना का ई० आ० ए०

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य विपत्र कोड-४९४७०१८०७९६५४०५४५
वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में बजट उपबंध रु. २००००.०० लाख (दो सौ करोड़) मात्र।

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में आवंटन

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम और अधिकार्यता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की प्रसंग			मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में आवंटन	कुल आवंटन राशि	Online Allotment Access No.	अनुकूलित
			राशि	वर्तमान आवंटन	पूर्व का आवंटन					
1	जलपथ प्रमंडल सं.-१, चक्रवर्यपुर SGHRR016	राँची	विजय सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम०) कार्य	81 / १६-१७ प्र०स्त्री०, २१६७/२६०१.७	२९८२.०००	०.००	७००.०००	१२०.०००	८२०.०००	102189
		राँची	जोनासाई जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम०) कार्य हेतु	७८ / १६-१७ प्र०स्त्री०, २१०५/१८.०१.७	१८६६.०००	०.००	७५०.०००	१३०.०००	८८०.०००	102191
		राँची	सोंगुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम०) कार्य	८४ / १६-१७ प्र०स्त्री०, २२९०/०९.०२.१७	१३४८.१८०	०.००	५००.०००	-१६९.५३०	३३०.४७०	88705
2	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)	राँची	करती जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम०) कार्य हेतु	०३/१६-१७ प्र०स्त्री०, Online AA-129/12.04.16	९१७७.३५०	१५९०.९६०	२०००.०००	२००.०००	२२००.०००	102194
		राँची	धनसिंह टोली जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम०) कार्य	०६/१६-१७ प्र०स्त्री०, Online AA-145/13.०४.१६	२९१२.३८०	२४५.३०	१९०.१००	३३.०००	२२३.१००	102199
		राँची	लतरातु जलाशय योजना के एवस्टेशन रिनोवेशन एवं मोडनाइजेशन (E.R.M)	२६/१६-१५ प्र०स्त्री०, ९१/१६-१७ प्र०स्त्री०, २४०३.२०१७	४०९४.७३०	४२५१.३८०	२००.०००	-१००.०००	१००.०००	30227
3	जलपथ प्रमंडल, खुंडी (RNCCR002)	राँची	योग	योग	२१९०.१००	२३३.०००	२४२३.१००			
		राँची	योग	योग	४३४०.१००	२१३.४७०	४५५३.५७०			

आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ तेरह लाख सेतालीस हजार मात्र।

→ १०००

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिक)

रामेश कुमार द्वे
विशेष सचिव

(हेमत कुमार)
अधिकारी प्रमुख-१

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
१४.३.१९